

परिपत्र

1. वस्तु एवं सेवाकर प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना हेतु मण्डल द्वारा Cleartax GST Software बाबत विस्तृत निर्देश परिपत्र क्रं.-358 दिनांक 24.08.2017 एवं 368 दिनांक 30.08.2017 के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं। GST प्रावधानानुसार Service Tax की उपलब्ध Cenvet Credit प्राप्त किये जाने हेतु समस्त इकाईयों द्वारा अप्रैल से जून 2017 तक की समयावधि के लिए जमा करवाई गई सेवाकर रिटर्न को परिपत्र क्रमांक 390 दिनांक 08.09.2017 की अनुपालना अथवा अन्य परिपेक्ष में यदि संशोधित करवाई गई है, तो संशोधित रिटर्न की प्रति अविलम्ब जीएसटी प्रकोष्ठ में भिजवायें, ताकि बढ़ाई गई समयावधि में संशोधित रिटर्न के अनुरूप Cenvet Credit Balance में भी संशोधन करवाया जा सके।
2. GST प्रावधानानुसार प्रत्येक व्यवहार (Supply or inward entry) के लिए GST Tax invoice तैयार कर जारी किया जाना आवश्यक होता है। Tax invoice के लिए Cleartax Offline Tool की सहायता ली जा सकती है। सम्बन्धित इकाईयों के अधीन निर्मित आवासों के बाबत कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में उपलब्ध One time Information को Cleartax Offline Tool में upload कर दिया गया है तथा जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के लेखा कार्मिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अन्य इकाईयों के सम्बन्धित कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिकों से अधोवर्णित इकाईयों अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर 1 जुलाई 2017 के पश्चात् से समस्त व्यवहारों की Tax Invoice जनरेट कर लेखांकन सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालना सुनिश्चित करें।

| प्रशिक्षणदाता वृत्त का नाम | प्रशिक्षण लेने वाले निर्देशित ईकाई का नाम |
|----------------------------|--|
| वृत्त प्रथम, जयपुर | वृत्त प्रथम, जयपुर के अधीनस्थ समस्त खण्ड कार्यालय, वृत्त कोटा एवं वृत्त उदयपुर। |
| वृत्त द्वितीय, जयपुर | वृत्त द्वितीय, जयपुर के अधीनस्थ समस्त खण्ड कार्यालय, वृत्त जोधपुर- प्रथम तथा द्वितीय जोधपुर। |
| वृत्त तृतीय, जयपुर | वृत्त तृतीय, जयपुर के अधीनस्थ समस्त खण्ड कार्यालय, वृत्त अलवर एवं वृत्त बीकानेर |

3. Cleartax Offline Tool में Invoice तैयार कर प्रिन्ट करने के पश्चात् Offline के समस्त data/invoices को Cleartax GST Online System में export/import करने की कार्यवाही की जावे, जिससे मण्डल का GST संबंधित समस्त data इकजाही रूप से Online संकलित हो सके। Cleartax GST Online में Login करने की प्रक्रिया के संबंध में निखिल अग्रवाल द्वारा दिनांक 28.11.2017 को अपराह्न 1.22 बजे e-mail से PPT प्रेषित कर दी गयी है। उक्त PPT को सावधानीपूर्वक देख कर तदनुसार Login/Register करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।


4. Cleartax GST Online Software पर Login करने की प्रक्रिया:-

- (i) निखिल अग्रवाल द्वारा Cleartax GST Online Software join करने हेतु भेजी गयी Invitation mail को Open करें।
- (ii) Invitation को Accept करें, अर्थात् Accept पर Click करें।
- (iii) इकाई की e-mail ID के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए Login करें एवं Unit का स्वयं निर्मित Password दर्ज करें एवं इसे भविष्य में Login करने हेतु अभिलेख में दर्ज करलें। (महत्वपूर्ण)
- (iv) इकाई की e-mail ID ही संबंधित इकाई की Cleartax GST Online Software की Login ID होगी एवं Password जो कि उपरोक्त बिन्दु संख्या (iii) के अनुसार Genrate किये गये अनुसार ही होगा।
- (v) Login ID एवं Password से Cleartax GST Online Software पर Login कर आवश्यकतानुसार कार्य किया जा सकता है।

विशेष


5. Cleartax GST Online Software Login करने पर (+Add another business) पर Click नहीं करें, अन्यथा संबंधित इकाई का पृथक Account खुल जायेगा तथा Data इकजाही रूप से संकलित नहीं हो पायेगा।

Cleartax GST Software बाबत किसी भी प्रकार की सहायता हेतु श्री निखिल अग्रवाल मोबाईल नं. 9828550069 से सम्पर्क किया जा सकता है।


(डॉ. के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/तृतीय, जयपुर/द्वितीय जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, वृत्त प्रथम/द्वितीय जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर।
5. श्री मुकेश ठोलिया, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड
7. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को महत्वपूर्ण आदेशों में Upload करें एवं मण्डल के सभी संबंधितों को mail पर प्रेषित करें।


(आरती बागोटिया)
वित्तीय सलाहकार